न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी : **गितेश श्री मालवीय,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 112/2021 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 03.11.2021
G.C.M.S. NO. :- 2021/112

रूपा पिता लोबा सालवी, उम्र वयस्क, निवासी मुंगाणा, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–अपीलांट

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार कपासन प्रकरण संख्या 03/2021 निर्णय दिनांक 05.08.2021

उपस्थितिः–1– श्री सौरभ बारेगामा, अधिवक्ता अपीलांट
2– श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 03.06.2022

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पटवार हल्का मुंगाणा के द्वारा पी 14 में अवैध अतिक्रमण के संबंध में की गई रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए पटवार हल्का की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम मुंगाणा की आराजी नम्बर 4840/4122 कुल रकबा 0.30 है. में से 0.05 है. किस्म रास्ता भूमि पर सम्वत् 2078 से लकडी पडी हुई होना एवं अवैध अतिक्रमण बताते हुए दिनांक 05.08.2021 को अपीलांट के विरूद्ध बेदखली एवं लगान का 50 गुणा शास्ति आरोपित करने के आदेश पारित किये जो अपने आप में अवैधानिक होकर

निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार, कपासन से पत्रावली प्राप्त होने एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि तहसील कपासन के पटवार हल्का मुंगाणा की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम मुंगाणा की आराजी नम्बर 4840/4122 रकबा 0.30 है. में से 0.05 है. किस्म रास्ता भूमि पर अपीलांट का लकड़ी पडी होना तथा अतिक्रमण बताकर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त बेदखली एवं जुर्माने का आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। विवादित आराजीयात अपीलांट के खातेदारी की होकर बाप–दादाओं के जमाने से पीढ़ी दर पीढ़ी 100 वर्षो से अधिक का कब्जा है। अपीलांट द्वारा कोई नए सिरे से अतिक्रमण नहीं किया है उक्त आराजी के चारों तरफ अपीलांट के खातेदारी की आराजी नम्बर 4120, 4121, 4122, 4142 से 4149, 4160, 4151 तथा 4834/4122, स्थित है। उक्त विवादित आराजीयात को सेटलमेंट के दौरान कर्मचारियों ने सहवन से किस्म रास्ता दर्ज कर लिया जबकि उक्त आराजीयात अपीलांट के खातेदारी का ही हिस्सा है जो कि साबिक आराजी नम्बर 2960 मी. से बना है तथा साबिक आराजी नम्बर 2960 कई भागों मे बंटा है और 2960 के बटा नम्बर से अपीलांट के बाप–दादाओं के नाम खातेदारी अंकित रही है। अतः अपीलांट उक्त आराजी में खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर विवादित आदेश निरस्त योग्य है। आदेश दिनांक 05.08.2021 की जानकारी अपीलांट को दिनांक 30.09.2021 को हुई। दिनांक 22.10.2021 को नकल प्राप्त की एवं अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपील तैयार कराई एवं दिनांक 23.10.2021 व 24.10.2021 का अवकाश होने से अपील बिना किसी देरी के पेश है फिर भी विलम्ब हेतु दफा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र संलग्न है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 05.08.2021 निरस्त किए जाने का आदेश प्रदान करावें।

राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि प्रश्नगत भूमि राजकीय बिलानाम होकर रास्ते की भूमि है जिस पर अपीलार्थी द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि से बेदखली एवं शास्ति आरोपित करने का पारित आदेश विधि सम्मत् है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। सर्वप्रथम हम धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ-पत्र के मद्देनजर विलम्ब के संबंध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाना न्यायोचित समझते हैं। तद्नुसार धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

अपीलांट ने प्रस्तुत अपील में ग्राम मुंगाणा की प्रश्नगत आराजी नम्बर 4840/4122 रकबा 0.30 हैक्टेयर में से 0.05 है. पर उसके बाप-दादाओं के जमाने से पिछले 100 वर्षो से भी अधिक के समय से कब्जा-काश्त होने का कथन किया है लिहाजा इस आराजी पर अपीलांट के अतिक्रमण के तथ्य को पृथक् से साबित करने की आवश्यकता नहीं है। ग्राम मुंगाणा की विवादित आराजीयात आराजी नम्बर 4840/4122 रकबा 0.30 हैक्टेयर में से 0.05 है. भूमि बिलानाम रास्ते की भूमि है जो कि नियमन योग्य नहीं है। साथ ही अपीलांट ने विवादित आराजीयात पर उसका पूर्वजों के समय से कब्जा होने बाबत कोई साक्ष्य/दस्तावेज भी पेश नहीं किया है जिससे उनका अतिक्रमण नियमन की परिधि में आता हो।

जहां तक अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि उक्त विवादित आराजीयात रास्ते की भूमि नहीं होकर उसके खातेदारी की कृषि आराजीयात है तथा सेटलमेंट के दौरान कर्मचारियों द्वारा सहवन से रास्ते की भूमि दर्ज कर दिया वहां हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि अपीलांट इस हेतु सक्षम न्यायालय में इन्द्राज दुरूस्ती का वाद दायर कर दाद प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है किन्तु ग्राम मुंगाणा की विवादित आराजीयात आराजी नम्बर 4840/4122 रकबा 0.30 है. में से 0.05 है. वर्तमान में किस्म बिलानाम रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज है जिस पर अपीलांट ने नाजायाज कब्जा कर रखा है तथा भूमिधारी तहसीलदार को ऐसे नाजायज कब्जों

को हटाने का अधिकार राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रदत्त किया गया है जिससे भूमिधारी तहसीलदार, कपासन द्वारा की गई कार्यवाही पूर्ण रूप से विधि-सम्मत् होकर नियमों के परिप्रेक्ष्य में की गई है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर पटवारी हल्का मुंगाणा की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट का ग्राम मुंगाणा की आराजी नम्बर 4840/4122 रकबा 0.30 है. में से 0.05 है. किस्म बिलानाम रास्ता भूमि पर अतिक्रमण सिद्ध है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बेदखल करने तथा जुर्माना लगान का 50 गुणा शास्ति आरोपित करने का पारित आदेश विधि सम्मत् होकर इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। निष्कर्षतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.08.2021 यथावत रखा जाता है।

''निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।''

(गितेश श्री मालवीय)